ग्राम पंचायत शनाग, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शनाग, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

(i) प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री वेद राम	1.4.14 से 21.02.16
2	श्री प्रताप सिंह	25.6.16 से लगातार

(ii) सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कर्मा छेरिंग	1.4.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत शनाग, विकास खण्ड नग्गर के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹) लाखों में
1	4.2	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	—
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	1.82
3	10	अनुदान का उपयोग शेष	18.83

4	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	16.12
5	14	क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	20.11

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत शनाग, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 9.1.18 से 17.1.18 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/15, 6/15 व 2/17 तथा 12/14, 1/16 व 3/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत शनाग, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2018-10 दिनांक 17.1.18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शनाग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत शनाग के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक खातों के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 (क)** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	988023.50	3927191	28720	4943934.50	4417853	526081.50
2015–16	526081.50	3647712	29292	4203085.50	2252072	1951013.50
2016–17	1951013.50	3138239	67979	5157231.50	2592764	2564467.50

(ii) मनरेगाः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	0.70	431540	1239	432779.70	431888	891.70
2015–16	891.70	–	23	914.70	914.70	शून्य
2016–17	–	–	–	–	–	शून्य

4.1 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत शनाग के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से घ)** में दिया गया है।

4.2 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत शनाग की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। उक्त नियम के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करनाा अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव उक्त नियम के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में जमा शेष राशियों से मिलान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 प्राप्त आय की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में देर से करने बारेः–

ग्राम पंचायत शनाग की रोकड़ बहियों व बैंक पास बुकों के मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रसीद संख्या 38095, दिनांक 19.5.14, रसीद संख्या 38096 दिनांक 19.5.14 रसीद संख्या 38097 दिनांक 21.5.14 व रसीद संख्या 38099 दिनांक 30.5.14 द्वारा क्रमशः ₹3000, ₹3000, ₹4500 व ₹1500 की प्राप्त आय कुल ₹12000 को बैंक खाता संख्या 20035003434 में दिनांक 4.6.14 को जमा करवाया गया परन्तु उपरोक्त प्राप्त आय की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में पृष्ठ संख्या 83 में दिनांक 2.7.14 को दर्ज की गई जबकि प्राप्त आय की प्रविष्टियाँ आय प्राप्त करने की तिथि को करना अपेक्षित था। अतः रोकड़ बही में प्राप्त आय की प्रविष्टियाँ एक माह बाद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

5 विभिन्न योजनाओं/अनुदानों के लिए एक बैंक खाते का रख रखाव करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)-13(1)5-47005-81 दिनांक 15.2.12 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक योजना के लिए एक पृथक बैंक खाते का रख रखाव करना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत शनाग द्वारा विभिन्न योजनाओं/अनुदानों के लिए केवल एक बैक खाता संख्या 20035003434 का ही रख रखाव किया गया है जोकि उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में उक्त में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक योजना/अनुदान के लिए पृथक–2 बैंक खाते का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

6 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	राशि (₹)
1	12.4.14 से 27.5.14	1229

2	2.7.14 से 7.7.14	2159
3	8.7.14 से 21.7.14	2946
4	24.9.14 से 28.9.14	8601
5	29.9.14 से 21.10.14	8156
6	22.10.14 से 29.12.14	7756
7	30.12.14 से 11.2.15	8726
8	12.2.15 से 30.3.15	31760

7 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन, तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹1.82 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत राजस्व ₹182122 की वसूली शेष थी

(i) गृहकरः–(परिशिष्ट–3 क)

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	34063	33953	68016	21100	46916
2015–16	46916	33953	80869	–	80869
2016–17	80869	33953	114822	–	114822

(ii) मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	2500	4500	7000	5000	2000
2015–16	2000	4500	6500	–	6500
2016–17	6500	4500	11000	3700	7300

No. of Tower:- 3

(iii) रॉयल्टीः—परिशिष्ट—3 (ख)

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014—15	30000	30000	60000	60000	—
2015—16	—	30000	30000	—	30000
2016—17	30000	30000	60000	—	60000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

8.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने बारेः—

ग्राम पंचायत शनाग के गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त रजिस्टर में प्रत्येक परिवार की बकाया राशि की गणना करने के पश्चात रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए और तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा किए गए निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये। अतः किए गए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा किए गए व्ययों को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	कार्य का नाम	व्यय माह	माह में व्यय	स्वीकृत राशि
1	T.D.C.	खाता मुरम्मत रास्ता वांहग से जोमनीफाल	12/2014	335570	600000
2	T.D.C.	खाता मुरम्मत	12/2014	23090	200000

		रास्ता वाहंग से गौशाला तक			
3	T.D.C.	खाता नाली निर्माण गौशाला	12/2014	42820	300000
4	T.D.C.	खाता मेन सड़क से गौतम ऋषि मन्दिर तक सड़क का पक्का करना	1/2016	347420	500000
5	T.D.C.	खाता सौह का निर्माण गौशाला	1/2016	65140	100000
6	VKVNY	खाता सामुदायिक संराय, गौशाला	3/2017	90465	250000
7	MGNREGA	खाता निर्माण खेल मैदान, गौशाला	12/2014	45738	500000
8	MGNREGA	खाता क्रेटवाल शनाग पुल से बेकर	12/2014	59444	500000
9	MGNREGA	खाता क्रेटवाल क्षुजल नाला	3/2017	28390	500000

10 अनुदान ₹18.83 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "4"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹1882564 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Cheque issue/Receipt Register
2	Work Register
3	T.A. Check Register
4	Bill Register
5	Mobile Tower fee collection register
6	Stationery Register

12 दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा शेष राशियों व अनुदान की शेष राशियों में ₹6.81 लाख के अन्तर बारेः—

ग्राम पंचायत शनाग के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशियों व अनुदानों की शेष राशियों **(परिशिष्ट—4)** में ₹681903.50 का अन्तर है। अतः अन्तर की राशि किस—किस शीर्ष (Head) की है कि गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशियाँ	₹2564467.50
दिनांक 31.3.17 को अनुदानों की शेष राशियाँ	₹1882564.00
अन्तर	₹681903.50

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹16.12 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1612129 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 ₹20.12 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–6** में दिए विवरणानुसार ₹2011747 की क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित **परिशिष्ट–6** में दी गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करने के अतिरिक्त अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक मद को क्रय उपरान्त नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

15 मनरेगा के अन्तर्गत जारी किए मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना अनियमित भुगतान करनाः—

ग्राम पंचायत शनाग की मनरेगा के कार्य हेतु जारी मस्ट्रोलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोलों में आवेदकों को भुगतान करने से पूर्व प्रत्येक मस्ट्रोल में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर लेना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा मस्ट्रोल में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए बिना ही भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः मस्ट्रोलों को पूर्ण किए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक

मस्ट्रोल को पूर्ण करके तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Mustroll No.	Period	Amt. (₹)
1	2799	10.11.14 से 24.11.14	16170
2	2800	10.11.14 से 24.11.14	20020
3	2801	10.11.14 से 24.11.14	9548
4	3010	17.11.14 से 1.12.14	17864
5	3011	17.11.14 से 1.12.14	15554
6	3012	17.11.14 से 1.12.14	20020
7	3013	17.11.14 से 1.12.14	6006
8	3069	19.11.14 से 03.12.14	19404
9	3070	19.11.14 से 03.12.14	18788
10	3071	19.11.14 से 03.12.14	18788
11	3072	19.11.14 से 03.12.14	4004
12	3060	19.11.14 से 03.12.14	13706
13	3061	19.11.14 से 03.12.14	9702
14	3062	19.11.14 से 03.12.14	6006
15	3065	19.11.14 से 03.12.14	18018
16	3066	19.11.14 से 03.12.14	17864

16 सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना ₹0.09 लाख का भुगतानः—

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जल रक्षक श्री हीरा लाल को अवधि 1.4.15 से 30.10.15 तक मानदेय ₹9450 का भुगतान वाउचर संख्या 60, माह 1/2016 द्वारा किया गया था परन्तु वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अवधि की सत्यापित उपस्थिति विवरणी वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी। अतः सक्षम अधिकारी से सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना किया गया भुगतान आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त अवधि की जल रक्षक की सत्यापित उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 व्यय बिल अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवानाः–

ग्राम पंचायत, शनाग के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार व्ययों के बिल अंकेक्षण हेतु वाउचरों के साथ संलग्न नहीं थे। अतः निम्न व्ययों के बिल आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0 / दि0	वा0सं0	राशि (₹)
1	निधि	140 / 20.1.16	59	9665
2	निधि	141 / 20.1.16	72	750
3	निधि	141 / 20.1.16	73	360

18 मेला कमेटी गौशाला को ₹5000 का भुगतान करने बारेः–

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 183 दिनांक 31.3.17 की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 59, माह 3/2017 द्वारा मेला कमेटी गौशाला को ₹5000 का भुगतान पंचायत निधि से किया गया था परन्तु उपरोक्त राशि की वास्तविक रसीद वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी। अतः उपरोक्त ₹5000 की वास्तविक रसीद मेला कमेटी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

19 ₹9.45 लाख की वास्तविक रसीदें प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार देय भुगतानों की वास्तविक रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी। अतः किए गए भुगतानों की वास्तविक रसीदें प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

Para 19

Sr.No.	Grant	Cash Book Page No.	Vr.No.	Bill No./Date	Name of Firm	Material	Amt. (₹)
1	TSC	112/6.12.14	237	769/06.12.14	M/S Chand Sign Painter Manali	Sign Board	10250

2	LADA	113/30.12.14	243	6501/30.12.14	M/S Dubey Traders, Manali	Steel Angles	25110
3	VKVNY	179/22.3.17	54	22679/Nil	M/S Tej Enterprises, Manali	Steel	26000
4	-do-	-do-	54	22680/Nil	-do-	-do-	19448
5	-do-	-do-	54	22446/25.10.16	-do-	-do-	8235
6	-do-	-do-	55	1509/Nil	M/S Paras Stone Crusher Burwa	Aggregate Sand	23782
7	-do-	-do-	56	004/Nil	M/S Rajesh Thakur Work Contractor, Goshal	Sand	13000
8	14th Fin.	46/9.3.17	01	163/09.03.17	M/S Jag Trading Co. Sunder Nagar	Solar lights	182000
9	-do-	47/14.3.17	02	164/14.03.17	-do-	-do-	637000
						Total	**₹944825**

20 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

22 **निष्कर्षः–** पंचायत के लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 30/2018–खण्ड–1–3058–3061 दिनाँक 05.05.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत शनाग, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046